तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२५/६/१७	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते तहसीलदार के जवाब हेतु आइन्दा दि. २८/६/१७ को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी शिव	
२८/६/१७	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तु किया है कि वादी संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 422/322 रकबा 61.15 बीघा मौजा– डलानाडा, पटवार मण्डल–नागडदा, तह0 शिव में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी ने एवं अन्य सह खातेदारो द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डीड दिनांक 13.10.81 को खरीद किया। खरीद से आज दिन तक वादी एवं अन्य सह खातेदार काश्त करते आ रहे है वादी द्वारा उपरोक्त खेत की खरीद की गई तब वादी द्वारा अपना नाम राणाराम कहा गया था परन्तु रजिस्ट्री कर्ता ने भलवंश राणाराम की जगह कमलाराम का गलत इन्द्राज कर दिया गया, जबकि वादी का सही नाम राणाराम है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम राणाराम दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन ज़ारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेज प्रदर्श करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी राजपैरोकार के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम राणाराम सही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 422/322 रकबा 61.15 बीघा मौजा डलानाडा, पटवार मण्डल नागडदा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम कमलाराम के स्थान पर राणाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– राणाराम पुत्र चौथाराम, जाति– कुमावत, नि0 हेमानाडा पोस्ट निम्बला, तह0 शिव

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 01 पैराकार उप0।

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है किः–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 422/322 रकबा 61.15 बीघा मौजा डलानाडा, पटवार मण्डल नागडदा, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम कमलाराम के स्थान पर राणाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: